# कार्यालय, अंचल अधिकारी,छत्तरपुर (पलामू)।

नोटिस का तामिला नहीं कराया जा सका है। चौकीदार राजेन्द्र पासवान के द्वारा लिखित में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्रामीणों से पुछ ताछ करने पर उनके द्वारा बतलाया गया है कि इस नाम का कोई ब्यक्ति इस गांव में निवास नहीं करता है।

राजस्व उपनिरीखक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा गोसाईडीह थाना नं0 183, खाता सं0 43, खेसरा सं0 —, रकबा 1.14 से सबंधित जमाबंदी रैयत प्रेमना देवी पिता/पति- ज्वाला सिंह के नाम से ग्राम गोसाईडीह .... में ना तो ऑफलाईन और ना ही ऑनलाईन पंजी–2 में कोई जमाबंदी संधारित है। अतः उक्त वाद बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत चलने योग्य नही है। अतः इसे समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षके के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक मे उक्त भूमि पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अंचल पदाधिकारी
छत्तरपुर

# संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला चेक–लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम – पलामू एवं छतरपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एंव भूमि का विवरण :–

| जमाबंदीदार का नाम | मौजा | थाना नं. | खाता नं. | खेसरा नं. | रकवा | खतियानी प्रविष्टि | किस्म जमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रेमना देवी पति ज्वाला सिंह | गोसाईडीह | 183 | 43 | — | 1.14 | गै॰ म॰ ज॰ (जंगल झाड़ी) | — |
| | | | | | | | |

3. भूमि का वर्त्तमान स्वरूप :– परती

4. अवैध जमाबंदी पंजी–II में कब से संधारित है? :– पंजी II स्पष्ट नहीं है।

5. उक्त जामबंदी पंजी–II में दर्ज करने वाले कर्मचारी / पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी / कर्मी का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पत्ता कर उल्लेखित करें) :– पंजी II जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। —

6. नामान्तरण / दाखिल – खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :– — NA —

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार

(क) अनिबंधित ,सादा हुकुमनामा :–

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एंव पारित अदेशानुसार) :–

(ग) अवैध भू–बंदोबस्ती ( वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :– —

(क)–(ग): पंजी II जीर्ण शीर्ण अवस्था में है।

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा–कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100 / –रूपये से कम या इससे अधिक) :– —

अंचल पदाधिकारी
छतरपुर

अवैध जामबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है :–
(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से :–
(ख) अंचल / अनुमंडल में संधारित बंदोबस्ती पंजी से :–
(ग) दाखिल–खारिज / भू–हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :–

} अंचल कार्यालय में उपलब्ध मांग पंजी से।

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक–01.01.1946 के पूर्व से कायम है :– नही

(ख) क्या दिनांक–01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल–दर–साल निर्गत है? :– नही

11. क्या दिनांक–01.01.1946 के बाद से 1955–56 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है? :– नही

12. वर्ष 1954–55 में हुए फिल्ड –बुझारत पंजी में दखल–कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :– नही

13. राजस्व उप–निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :–
वाद अभिलेख सं० 213/2016-17 (अंतर्गत धारा 4(h) BLR Act 1950) के तहत संदेहित भूमि का नोटिस तामिला अंचल कार्यालय के चौकिदार से कराई गई उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि नोटिस मे दर्ज भूमि के संबंध मे ग्राम के ग्रामीण जनता द्वारा बताया गया कि इस नाम का कोई व्यक्ति भी यहां पर निवास नही किया है और, नही उक्त भूमि पर कभी जोत कोड़ रहा है गत सर्वे खतीयान के अनुसार भूमि गैर मजरूआ खाते की है। मांगधारी का मांग आन-लाईन पोर्टल पर दर्ज नही है तथा आफ-लाईन मांग पंजी जीर्णशीर्ण अवस्था मे रहने के कारण मांगधारी का विवरण उपलब्ध नही हो चुकि गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि जिसके संबंध के कोई विवरण उपलब्ध नही है ऐसी स्थिति में इस वाद पर 4(h) की कार्रवाई करना उचित प्रतित नही होता है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :–
राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित जांच प्रतिवेदन का जाँच किया, सही पाया। अतः उपरोक्त जमाबंदी पर धारा 4(h) BLR Act 1950 की कार्रवाई करना उचित प्रतीत नही होता है।
[signature]

[signature] 17/02/23

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| अंचल अधिकारी, छत्तरपुर। | भूमि–सुधार उप समाहर्त्ता, छत्तरपुर। | अनुमण्डल पदा., छत्तरपुर। | अपर समाहर्त्ता, पलामू। | उपायुक्त, पलामू। |

संदिग्ध / संदेहास्पद रैयत

# संदिग्ध/ संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :– मैमना देवी w/o जपाला देवी

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या ..........पृष्ठ सं..........पर कायम है।

| मौजा | थाना नं. | खाता सं. | खेसरा सं. | रकवा |
|---|---|---|---|---|
| गोसाई डीह | 183 | 43 | — | — |
| | | | | |

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :– पंजी II जीर्ण शीर्ण अवस्था मे है।

4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :– गैरमजरुआ मालिक

5. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :– पंजी II जीर्णशीर्ण अवस्था मे है।

6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :–

N A

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार पंजी II स्पष्ट नही है
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भू–बंदोबस्ती) :–

8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न/ बंदोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू–हस्तांतरण पंजी)
:– चालु पंजी II से

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :– पंजी II जीर्ण शीर्ण अवस्था मे है।

| क्र. सं. | लगान रसीद सं. | रसीद निर्गत तिथि | वसूली वर्ष |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

अंचल अधिकारी
[illegible]

# कार्यालय, अंचल अधिकारी,छत्तरपुर (पलामू)।

**वाद अभिलेख सं0 213 / 20 16-17 (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950**

## सूचना

बनाम प्रेमना देवी

पति - ज्वाला सिंह

..........................................................................

एतद द्वारा आपको सूचित कया जाता है कि मौजा गोसाईडीह थाना नं0...... खाता सं0 43 खेसरा नं0 — रकबा 1.14 से संबंधित आपके नाम से ह0 नं0 ........ के पंजी–II भाग .............. के पृष्ठ .............. पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे पूर्वाहन में उक्त भूमि का रिटर्न–1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमीदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहूँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जानें।

अंचल अधिकारी छत्तरपुर, पलामू

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

Digitally signed by MODASAR NAZAR MANSURI
Date: 2023.01.21 16:28:56 +05:30
Location: 192.168.33.5